भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-311

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना

311. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौभाग्य के कार्यान्वयन के दौरान विद्युतरहित परिवारों की अनुमानित संख्या को किस आधार पर कम किया गया है;

(ख) वर्तमान में चिह्नित विद्युतरहित या निष्क्रिय कनेक्शन वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) सौभाग्य और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय ऋण की राशि कितनी है; और

(घ) अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का कितना बोझ पड़ा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन देकर सभी घरों में विद्युत पहुंचाई जा सके। सौभाग्य स्कीम के अनुसार, बिना विद्युत वाले घरों की कुल संख्या 300 लाख होने का अनुमान था, जिसके मुकाबले सौभाग्य स्कीम के दौरान देश भर में 286 लाख घरों में विद्युत पहुंचाई गई और सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले पहचाने गए सभी इच्छुक बिना विद्युत वाले घरों में 100% विद्युत पहुंचाने की सूचना दी है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर बनाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें से 6522 करोड़

रुपये के कार्य देश के 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए मंज़ूर किए गए हैं। इसमें यथा व्यवहार्य प्रधानमंत्री जन जाति महा न्याय अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जन जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। आरडीएसएस (पीवीटीजी + अतिरिक्त परिवार) के तहत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(ग) और (घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आरईसी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय उधारी की राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**स्कीम**	**राशि करोड़ रुपये में**
1	सौभाग्य	2,950.00
2	डीडीयूजीजेवाई	21,159.30
कुल		**24,109.30**

स्कीम के लिए पूरी निधि निर्धारित समय के अंदर इस्तेमाल कर लिया गया।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 311

अनुबंध-I

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत गैर-वित्तपोषित

रा.स.अतारां.प्र.सं. 311

अनुबंध-II

आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त घर) के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्यों के नाम	कुल संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		
आंध्र प्रदेश	15,475	15,307
अरुणाचल प्रदेश	6,506	0
असम	127,111	0
बिहार	35,467	0
छत्तीसगढ़	34,078	188
जम्मू और कश्मीर	15,359	0
झारखंड	4,853	371
केरल	40	11
मध्य प्रदेश	196	21
मणिपुर	36,972	0
मेघालय	50,501	0
मिजोरम	15,167	0
नागालैंड	10,004	0
राजस्थान	338,702	79,526
उत्तर प्रदेश	251,487	1,317
कुल (क)	**941,918**	**96,741**
हिमाचल प्रदेश*	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1,683	0
उत्तराखंड	1,154	0
भाग (ख)	**2,837**	**0**
आंध्र प्रदेश	24,967	24,925
बिहार	-	0
छत्तीसगढ़	7,077	7,160
झारखंड	12,442	11,146
कर्नाटक	1,615	1,546
केरल	345	313
मध्य प्रदेश	30,216	27,006
महाराष्ट्र	8,556	9,216
राजस्थान	17,633	16,023
तमिलनाडु	8,603	6,939
तेलंगाना	3,884	3,884
त्रिपुरा	11,664	11,692
उत्तर प्रदेश	316	195
उत्तराखंड	669	669
उप-जोड़ (ग1)	**127,987**	**120,714**
गुजरात	0	6,626
ओडिशा	0	5,156
पश्चिम बंगाल	0	3,372
उप-जोड़ (ग2)	**0**	**15,154**

मध्य प्रदेश	25	20
उप-जोड़ (ग3)	**25**	**20**
कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	**128,012**	**135,888**
आंध्र प्रदेश	4,921	4,359
अरुणाचल प्रदेश	1,938	1,469
बिहार	7,117	648
छत्तीसगढ़	39,579	12,245
हिमाचल प्रदेश	93	10
जम्मू एवं कश्मीर	13,824	0
झारखंड	19,467	0
कर्नाटक	5,288	1,101
केरल	1,080	204
मध्य प्रदेश	59,172	11,910
महाराष्ट्र	6,961	5,228
राजस्थान	82,842	7
तेलंगाना	26,525	15,442
त्रिपुरा	7,677	5,089
उत्तर प्रदेश	6,867	65
उत्तराखंड	207	135
उप-जोड़ (घ1)	**283,558**	**57,912**
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ2)	**0**	**0**
आंध्र प्रदेश	182	129
अरुणाचल प्रदेश	9	9
हिमाचल प्रदेश	7	3
झारखंड	1,910	0
केरल	17	0
मध्य प्रदेश	650	67
राजस्थान	195	0
तेलंगाना	672	0
त्रिपुरा	512	0
उत्तर प्रदेश	30	7
उत्तराखंड	19	3
उप-जोड़ (घ3)	**4,203**	**218**
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ4)	**0**	**0**
कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	**287,761**	**58,130**
आंध्र प्रदेश	811	411
झारखंड	1,782	0
मध्य प्रदेश	6	3
महाराष्ट्र	2,012	21
कुल (ङ)	**4,611**	**435**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**1,365,139**	**291,194**

****